



सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़े

राज्य परियोजना कार्यालय

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ-226 007, उत्तर

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक

समग्र शिक्षा

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक: क०जी०बी०वी०/३-२/

/2019-20 दिनांक: ३। दिसम्बर, 2019

विषय: महिला अंशकालिक अनुदेशकों/शिक्षामित्रों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं के 06 माह के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 2071/68-5-2019 शिक्षा अनुभाग-5 दिनांक: 30 दिसम्बर, 2019 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा महिला अंशकालिक अनुदेशकों/शिक्षामित्रों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं के 06 माह (180 दिन) के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त शासनादेश की छायाप्रति आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उक्तवत्

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ०स०: क०जी०बी०वी०/३-२/ ५८८० /2019-20/ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
3. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद।
4. मुख्य विकास अधिकारी, समरत जनपद, उ०प्र०।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक), समस्त मण्डल, उ०प्र०।
6. निदेशक, महिला समाख्या, गोमतीनगर, लखनऊ।
7. जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा), समस्त जनपद, उ०प्र०।



(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रेषण

राश्या - २.०७ / ६८-५-२०१९

रेणुका कुमार
अपर गुरुव्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उ०प्र० लखनऊ।

वैसिक शिक्षा अनुभाग-५

लखनऊ: दिनांक: ३० दिसम्बर, 2019

विषय:- महिला अंशकालिक अनुदेशकों/शिक्षामित्रों/कस्तूरबा गांधी वालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं के ०४ माह के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-अंश०अनु०/मातृत्व अवकाश/४६२९/२०१९-२०, दिनांक १७.१२.२०१९ का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का काट करें, जिसके द्वारा महिला अंशकालिक अनुदेशकों/शिक्षामित्रों/कस्तूरबा गांधी वालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं को १८० दिन का मातृत्व अवकाश मानदेय सहित प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

२- इस सम्बन्ध में युझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला अंशकालिक अनुदेशकों/शिक्षामित्रों/कस्तूरबा गांधी वालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षिकाओं के ०६ माह (१८० दिन) के मानदेय सहित मातृत्व अवकाश स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का काट करें।

भूदीया,
८८३०११९
(रेणुका कुमार)
अपर गुरुव्य सचिव।

संख्या व दिनांक तर्दंश

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शूघनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरित है-

- १- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- २- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अधियान, उ०प्र० लखनऊ।
- ३- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- ४- निदेशक, वैसिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
- ५- सचिव, वैसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
- ६- वित्त नियंत्रक, वैसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
- ७- जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, सारस जनपद, उ०प्र०।
- ८- गाड़ फाइल।

शासन
(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।